मीरजापुर पुलिस

—प्रेस नोट—

दिनांकः 11.08.2025

थाना जमालपुर पुलिस द्वारा धर्मांन्तरगण के अभियोग से सम्बन्धित 04 नफर अभियुक्त/अभियुक्ता गिरफ्तार, धार्मिक पुस्तक व पोस्टर बरामद —

थाना जमालपुर, जनपद मीरजापुर पर आज दिनांकः10.08.2025 को वादी ओंमकार नाथ केशरी पुत्र श्यामनारायण केशरी निवासी रघुनाथपुर थाना बबुरी जनपद चन्दौली(हालपता-ग्राम डबक थाना जमालपुर जनपद मीरजापुर) द्वारा नामजद अभियुक्तों के विरूद्ध धर्म का प्रचार करने के बहाने गांव के भोले-भाले लोगों को पैसा इत्यादि का प्रलोभन व लालच देकर धर्म परिवर्तन कराने के सम्बन्ध में लिखित तहरीर दी गई । उक्त के सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना जमालपुर पर मु0अ0सं0-127/2025 धारा 3/5(1) उ0प्र0विधि विरूद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गई ।

"सोमेन बर्मा" वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद मीरजापुर द्वारा उक्त घटना को गंभीरता से लेते हुए क्षेत्राधिकारी चुनार के नेतृत्व में थानाध्यक्ष जमालपुर को अभियुक्तों की यथाशीघ्र गिरफ्तारी करने के निर्देश दिए गए । उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना जमालपुर पर पंजीकृत उपरोक्त अभियोग में पतारसी सुरागरसी एवं अग्रिम विवेचनात्मक कार्यवाही के क्रम में त्वरित कार्यवाही करते हुए आज दिनांकः11.08.2025 को उप-निरीक्षक ओमप्रकाश सिंह मय पुलिस टीम द्वारा प्राप्त मुखबिर की सूचना के आधार पर थाना जमालपुर क्षेत्रान्तर्गत डबक नहर के पास स्थित एक मकान से नामजद 04 नफर अभियुक्त/अभियुक्ता 1.चन्दन राम पुत्र स्व0रामाराव भारती, 2.ऋतु पत्नी चन्दन राम निवासीगण रामपुर चमरही थाना बबुरी जनपद चन्दौली, 3.जगदीश राम पुत्र भैरोराम निवासी सिकरी थाना बबुरी जनपद चन्दौली, 4.रामलोचन राम पुत्र स्व0सदुलाल निवासी सरने थाना अलीनगर जनपद चन्दौली को गिरफ्तार किया गया । जिनके पास 01 अदद बैग, 07 अदद धार्मिक पुस्तक व 06 अदद पोस्टर बरामद किया गया । थाना जमालपुर पुलिस द्वारा नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही करते हुए गिरफ्तार अभियुक्तों को मा0न्यायालय/जेल भेजा जा रहा है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त/अभियुक्ता —

1.चन्दन राम पुत्र स्व0रामाराव भारती निवासी रामपुर चमरही थाना बबुरी जनपद चन्दौली, उम्र करीब-31 वर्ष।

2.ऋतु पत्नी चन्दन राम निवासिनी रामपुर चमरही थाना बबुरी जनपद चन्दौली, उम्र करीब-24 वर्ष।

3.जगदीश राम पुत्र भैरोराम निवासी सिकरी थाना बबुरी जनपद चन्दौली, उम्र करीब-58 वर्ष।

4.रामलोचन राम पुत्र स्व0सदुलाल निवासी सरने थाना अलीनगर जनपद चन्दौली, उम्र करीब-57 वर्ष।

विवरण बरामदगी —

01 अदद बैग, 07 अदद धार्मिक पुस्तक व 06 अदद पोस्टर ।

पंजीकृत अभियोग —

मु0अ0सं0-127/2025 धारा 3/5(1)उ0प्र0विधि विरूद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम थाना जमालपुर जनपद मीरजापुर।

गिरफ्तारी का स्थान, दिनांक व समय —

डबक नहर के पास स्थित एक मकान से, आज दिनांकः11.08.2025 को समय 08:01 बजे ।

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली पुलिस टीम —

उप-निरीक्षक ओमप्रकाश सिंह थाना जमालपुर, मीरजापुर ।

मुख्य आरक्षी अशोक सिंह, मो0कलाम, रामप्यारे यादव व महिला आरक्षी स्नेह यादव ।

****